

फॉर्मेट (प्राप्त) -सी-2

राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों / टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25, सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : समाजवादी पार्टी

निर्वाचन का नाम : उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड शिक्षक व खण्ड स्नातक निर्वाचन वर्ष-2026

राज्य शासित क्षेत्र का नाम : उत्तर प्रदेश

1	2	3	4		5		
क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले		(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं० एवं मामला (मामलों) की स्थिति	सम्बन्धित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (घों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख(तारीखें)	अपराध (घों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दण्ड
1.	गोरखपुर फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	डा० संजयन त्रिपाठी	अपराध संख्या 392/2003 थाना-वेलीपुर जिला-गोरखपुर मुकदमा संख्या-208/2004 A.C.J.M.-3 गोरखपुर	धारा-143, 283, 353, 504, भा०द०वि० व 7 क्रि० ला एमेंडमेंट एक्ट सड़क पर खड़े होकर व बैठकर सड़क जाम करना जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं